

फर्द अहकाम



(नियम 26)

अज अदालत : सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर  
जिला हनुमानगढ

जगदीश आदि बनाम इन्द्राज आदि

किस्म मुकदमा : 212 आर.टी. एक्ट

प्रकरण संख्या 32/2023

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख फर्द अहकाम की हुक्म की तारीख जारी हुआ
20.02.2023	<p>यह प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण की ओर से राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 212 के अन्तर्गत जरिये वकील प्रस्तुत किया गया । प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जावे ।</p> <p>हमने वकील प्रार्थीगण की इकतरफा बहस सुनी । पत्रावली का अवलोकन किया । प्रार्थना पत्र के संलग्न दस्तावेजों व शपथ पत्र के आधार पर प्रथम दृष्ट्या प्रकरण प्रार्थीगण के पक्ष में प्रतीत होता है ।</p> <p>अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज व शपथ पत्र के आधार पर इस आशय की अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि अप्रार्थी संख्या-01, रोही मौजा दलपतपुरा तहसील नोहर के खाता संख्या 17/18 के ख.नं.0 375/3 की 1.1070 हैक्टेयर, ख.नं. 378/4 की 0.0760 हैक्टेयर, ख.नं. 416/3 की 0.1000 हैक्टेयर कुल 3 खसरेजात की 1.2830 हैक्टेयर वाद भूमि में से प्रार्थी के हक व हिस्से से अधिक भूमि को आगामी तारीख पेशी तक रहन, बैय, मुंतकिल न करे । उपरोक्त स्थगन मंजूरशुदा रास्ता व मंजूरशुदा खाला पर लागू नहीं होगा । वकील प्रार्थीगण रजिस्टर्ड सम्मन पेश करें । पत्रावली वास्ते तलबी अप्रार्थीगण दिनांक : 27/03/2023 को पेश हो ।</p> <p style="text-align: center;">             सहायक कलक्टर एवं            उपखण्ड अधिकारी            नोहर (हनुमानगढ)         </p> <p>पत्रावली प्रार्थीगण की ओर से राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 212 के अन्तर्गत जरिये वकील प्रस्तुत किया गया । प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जावे । हमने वकील प्रार्थीगण की इकतरफा बहस सुनी । पत्रावली का अवलोकन किया । प्रार्थना पत्र के संलग्न दस्तावेजों व शपथ पत्र के आधार पर प्रथम दृष्ट्या प्रकरण प्रार्थीगण के पक्ष में प्रतीत होता है । अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज व शपथ पत्र के आधार पर इस आशय की अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि अप्रार्थी संख्या-01, रोही मौजा दलपतपुरा तहसील नोहर के खाता संख्या 17/18 के ख.नं.0 375/3 की 1.1070 हैक्टेयर, ख.नं. 378/4 की 0.0760 हैक्टेयर, ख.नं. 416/3 की 0.1000 हैक्टेयर कुल 3 खसरेजात की 1.2830 हैक्टेयर वाद भूमि में से प्रार्थी के हक व हिस्से से अधिक भूमि को आगामी तारीख पेशी तक रहन, बैय, मुंतकिल न करे । उपरोक्त स्थगन मंजूरशुदा रास्ता व मंजूरशुदा खाला पर लागू नहीं होगा । वकील प्रार्थीगण रजिस्टर्ड सम्मन पेश करें । पत्रावली वास्ते तलबी अप्रार्थीगण दिनांक : 27/03/2023 को पेश हो ।</p> <p style="text-align: center;">             उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)            नोहर (हनुमानगढ)         </p>	<p>नम्बर व तारीख फर्द अहकाम की हुक्म की तारीख जारी हुआ</p> <p>जगदीश 62</p> <p>इंसराल</p> <p>पहला पत्रावली</p> <p>सुभाष 80</p> <p>बेकारत गारि</p> <p>गारि निवासी</p> <p>नूरपुरा नोहर</p> <p>हुक्म</p>

26.02.23